क्रम-संख्या-(645)

रजि0 न0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 31 मार्च, 1989

चैत्र 10, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग- 1

संख्या 613/17-वि-1-1 (क)-19/1989

लखनऊ, 31 मार्च, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, 1989 पर दिनांक 31 मार्च, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(घ) "शिकायत" का तात्पर्य—

(1) किसी व्यक्ति के इस दावे से है कि वह कुप्रशासन के परिणामस्वरूप अन्याय या अनुचित कष्ट का भागी बना है ; या

(2) इस आशय के परिवाद से है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिये निर्धारित आरक्षित कोटा का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति की है ; "।

धारा 9 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी शिकायत की स्थिति में, जिसमें धारा 2 के खंड (घ) के उप खंड (2) में निर्दिष्ट परिवाद अन्तर्ग्रस्त हो, परिवाद किसी ऐसे संगठन द्वारा भी किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त मान्यता दी गयी हो।"

धारा 22 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) शब्द "किसी परिवाद का" के स्थान पर शब्द "किसी अभिकथन या शिकायत का" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(छ) राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य"

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

5—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "पेंशन के उस भाग की राशि, और" के स्थान पर शब्द "पेंशन के उस भाग की राशि" रख दिये जायेंगे।

(दो) खण्ड (ग) निकाल दिया जायगा।

तृतीय अनुसूची का संशोधन

6—मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, पैरा (घ) में, शब्द "नियुक्ति" के पश्चात् निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द और अंक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(जो धारा 2 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्ति न हो)"

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 613 (2) /XVII-V-1—1 (KA) 19-1989

Dated Lucknow, March 31, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Ayukta Tatha Up-Lok Ayukta (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1989), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1989.

UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) ACT, 1989

(U.P. Act no. 10 of 1989)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-lokayuktas Act, 1975.

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 1989.

10/89

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (*d*), the following clause shall be *substituted*, namely : Amendment of Section 2 of U.P. Act no. 4 of 1975.

"(*d*) 'grievance' means :—

(i) a claim by a person that he substained injustice or undue hardship in consequence of maladministration, or

(ii) a complaint to the effect that an authority empowered to make appointments to a public service or post in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh has after the commencement of the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 1989 made any appointment in breach of the quota of reservation for members of scheduled castes or scheduled tribes laid down by the State Government."

3. In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), after existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely : Amendment of section 9.

"Provided further that in the case of a grievance involving a complaint referred to in sub-clause (ii) of clause (*d*) of section 2, the complaint may be made also by an organization recognized in that behalf by the State Government."

4. In section 22 of the principal Act,— Amendment of section 22.

(*a*) *after* the word "allegation" the words "or grievance" shall be *inserted*;

(*b*) *after* clause (*f*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*g*) any member of the staff of Governor's Secretariat."

5. In the Second Schedule to the principal Act in the proviso,— Amendment of Second Schedule.

(i) in clause (*b*), *for* the words "pension, and" the word "pension" shall be *substituted*;

(ii) clause (*c*) shall be *omitted*.

6. In the Third Schedule to the principal Act, in paragraph (*d*), *after* the word "appointments" the following brackets, words and figures shall be *inserted*, namely :— Amendment of Third Schedule.

"(other than an appointment referred to in clause (ii) of clause (*d*) of section 2.")

By order,

NARAYAN DAS,

Sachiv.

पी० एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० विधा०-(2)-1989-850 (मैक०)।